

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- 320 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 08 मार्च, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा(1) का खण्ड (i) के सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 356 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 06 मार्च, 2013 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से उत्तराखण्ड में "छोटे मिनियेचर बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे के शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) के नियोजन" में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	8213 8331
2	अर्द्धकुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	8454 8788
3	कुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	8695 9357
4	कनिष्ठ लिपिक, वे जो 5 वर्ष से कम अवधि तक नियोजन में रहे हों। (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	8788 9611
5	ज्येष्ठ लिपिक, जो स्नातक हो और किसी औद्योगिक इकाई में 5 वर्ष से अधिक अवधि तक नियोजन में रहे हों। (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	9357 10328

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होगी।

2- **परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:-** अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

१५/३/१९

- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल-

हेल्पर, अस्तरवाला, बबलवाला, घुण्डीवाला, कांचवाला, बघार वाला, बैच मिक्सर, कोयला डालने वाला, ठंडी बत्ती वाला, पन्तीवाला, पिसाई वाला, पैकिंग प्रक्रिया से माल निकालने वाला, पैकर, बबलचू, बबलर, ठंडा बाबरी वाला, गेज मैन, भराई करने वाला, कैरियर, रबर, फास्ट मोहर लगाने वाला, सांचे वाला, खुसी वाला, गलाई वाला, पानी वाला, जाली वाला, कांच ढोने वाला, लोहार वाला, स्टैम्प सीलवासर, कुकर, सीलिंग हेल्पर, कैप लगाने वाला, बेकर, बफर, बैसर, चुनैया, बालकूलर, बालमेकर, स्टोरमैन, मजदूर, गेटमैन, कुली और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल-

गुल्ली वाला, लोममैन, पहल वाला, गरम लोम वाला, घिसाई वाला, फस्टर ग्राइन्डर, मोल्डर, वाटलजार, स्टापर, फिलर मैन, ग्लास कटर, रूसा भट्टी वाला, रूसा ग्लास सहायक, खरादी, ग्लोब कटर, बीडर चैकर, ट्यूब कटर, मिडिलमैन, बीडिंग राड खींचने वाला, गिनथा, सोल्डर, पालीसर, मिक्सर मैन, लोम देने वाला, लोम बनाने वाला, बेल्टमैन, कम्प्रेसर मैन, क्लीनर, पल्लेदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल-

सीलर, एग्जास्टर, एडजस्टर, माउन्टर, रिंग फिटर, स्टैंम मेकर, सिकैया, फायरमैन, क्रपलिंग ओवर इंचार्ज, जेनरेटर इंचार्ज, इलेक्ट्रिक इंचार्ज, प्रोडक्सन इंचार्ज, फिनिशिंग इंचार्ज, मिक्सिंग इंचार्ज, इंचार्ज मिस्त्री, बत्तीवाला, मुट्ठ वाला, बेलन वाला, बत्ती लगाने वाला, जगाई वाला, झोकाई वाला, तारकस, मल्ला हैंडलर, इनग्रेवर, ब्लोवर, फोरमैन, लोहार, मिस्त्री, बढ़ई, खरादी, फिटर फर्नेस मैन, हैण्ड वर्करड्रिल मैन,

मोटर बाइन्डर, प्रेसमैन, ड्राईवर, इंजन ड्राईवर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या:- 320 (1)/VIII/19-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।